भारत सरकार

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

स्‍कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 1210

उत्तर देने की तारीखः 20.1**2**.201**8**

निजी स्कूलों द्वारा सीट किराये पर दिए जाने की

जांच किया जाना

1210. श्री आर॰ वैद्यलिंगमः

**क्या** मानव संसाधन विकास मंत्री **यह बताने की कृपा करेंगे किः**

**(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की मंशा देश भर में 170 के करीब निजी स्कूलों को उनकी सम्बद्धता वापिस लिए जाने का कारण बताओ नोटिस भेजकर तथा प्रत्येक अतिरिक्त छात्र पर 500 रुपये या उससे अधिक जुर्माना लगाकर दंडित करने की है;**

**(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;**

**(ग) क्या यह भी सच है कि इस कदम से सीटें किराए पर देने वाले निजी स्कूलों पर भी लगाम लगेगी; और**

**(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है**?

उत्तर

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री

(डॉ. सत्‍य पाल सिंह)

**(क) और (ख): जी, नहीं। तथपि केंद्रीय माध्‍यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) को किसी स्‍कूल द्वारा बोर्ड के संबंद्धन (एफिलिएशन) संबंधी उपनियमों/परीक्षा उपनियमों का उल्लंघन करते हुए पाये जाने अथवा स्‍कूल द्वारा बोर्ड के दिशानिर्देशों का अनुपालन न करने की स्‍थिति में निम्‍नलिखित दंड लगाने का अधिकार है:**

* **लिखित चेतावनी**
* **5,00,000/- रू. तक दंड लगाना**
* **स्‍कूल को वरिष्‍ठ माध्‍यमिक स्‍तर से माध्‍यमिक स्‍तर तक डाउनग्रेड करना**
* **स्कूल में सैक्‍शनों की संख्‍या को सीमित करना**
* **दो वर्ष की अवधि तक के लिए स्कूल को बोर्ड की परीक्षा में छात्रों को प्रायोजित करने से निषेध करना**
* **किसी निश्‍चित अवधि के लिए संबंद्धन निलंबित करना**
* **पांच वर्ष तक की अवधि के लिए स्कूल को संबंद्धन अथवा संबंद्धन पुन: प्रदान करने हेतु आवेदन करने से निषेध करना**
* **किसी विशिष्‍ट विषय (विषयों) अथवा स्‍ट्रीम में संबंद्धन वापस लेना**
* **संबंद्धन वापस लेना**
* **बोर्ड द्वारा उपयुक्‍त समझा गया कोई अन्‍य दंड**

**(ग) और (घ): उन मामलों का विवरण निम्‍नानुसार है जिनमें सीबीएसई द्वारा छात्रों के पंजीकरण के संबंध में स्‍कूल को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **क्र. सं.** | **स्‍कूल का नाम** | **उल्लंघन का विवरण** | **कृत कार्रवाई** |
| **1.** | **जी.डी. गोयंका इंटरनेशनल स्कूल, रोहतक** | **छात्र** IX**वीं** **और** X**वीं में पढ़ रहे थे और बोर्ड की परीक्षा के लिए फीस का भुगतान किया गया था परन्‍तु** X**वीं कक्षा के लिए अंकपत्र किसी दूसरे स्कूल के नाम में जारी कर दिए गए** | **दिनांक 30.04.2018 की शिकायत आगे आवश्‍यक कार्रवाई करने के लिए क्षेत्रीय कार्यालय, पंचकुला को प्रषित की गई** |
| **2.** | **होली ऐंजल पब्‍लिक स्‍कूल, कवि नगर** | **गैर-प्राधिकृत छात्रों को स्‍पांसर करना** | **संबंद्धन वापस लिया गया** |
| **3.** | **रेना पब्‍लिक स्‍कूल, मुजफ्फरनगर** | **कक्षा** XI **के अनुत्‍तीर्ण विद्यार्थियों को कक्षा** XII **की बोर्ड परीक्षा में बैठने के लिए प्रवेश दिया गया** | **वरिष्‍ठ माध्‍यमिक से माध्‍यमिक स्‍तर तक डाउनग्रेड किया गया।** |
| **4.** | **श्री चैतन्‍य विद्या मंदिर, विजाग** | **अतिरिक्‍त अभ्‍यर्थियों को स्‍पांसर करना** | **3.04.2018 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया** |
| **5.** | **मदर खजानी कान्‍वेंट स्‍कूल, दिल्‍ली** | **बार्ड की परीक्षा में कदाचार** | **दिनांक 09.05.2018 के पत्र द्वारा बोर्ड ने स्‍कूल का संबंद्धन वापस ले लिया है।** |